



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48259

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट बी संख्या - 678/2026

सत्यवीर सिंह और 2 अन्य

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

....प्रत्यर्था(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अंजनी कुमार त्रिपाठी, पंकज शर्मा

प्रत्यर्था(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 27.02.2025 के संदर्भ आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा चकबंदी लेखपाल/सहायक चकबंदी अधिकारी/चकबंदी अधिकारी तथा चकबंदी के बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारंभ एवं अग्रेषित संदर्भ को उप निदेशक चकबंदी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि दिनांक 27.02.2025 के संदर्भ आदेश के अनुसरण में कब्जे के परिदान के कारण, वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा भूखंड संख्या 710 मिन तथा 709 मिन पर दर्शाई गई गेहूँ की फसल नष्ट होने की संभावना है।
4. यह कहना अनावश्यक है कि कब्जे के परिदान के समय, चकबंदी प्राधिकारियों द्वारा उ.प्र.च.अ. की धारा 28 के अंतर्गत प्रतिपादित उपबंधों तथा उससे संबंधित नियमों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2025 को पारित आदेश के अनुसरण में कब्जे के परिदान हेतु उ.प्र.च.अ. की धारा 28 के उपबंधों तथा सुसंगत नियमों के अनुपालन का निर्देश जारी किया जाए, ताकि वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्शाई गई गेहूँ की फसल नष्ट न हो।
6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस रिट याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः इसे मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, इस निर्देश के साथ कि संबंधित चकबंदी प्राधिकारी, वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा भूखंड संख्या 710 मिन तथा 709 मिन पर दर्शाई गई गेहूँ की फसल को कोई क्षति न पहुँचाएँ तथा कब्जे का परिदान उ.प्र.च.अ. की धारा 28 के अंतर्गत प्रतिपादित उपबंधों एवं इस प्रयोजन हेतु सुसंगत नियमों के अनुसार किया जाए, अंततः निर्णीत किया जाता है।
7. उपरोक्त संप्रेक्षण/निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका अंततः **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

10 मार्च, 2026

वीआर